

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत-शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: निसंशि/संस्था-4कखगघड/शैक्ष.5/स्थाना.2015/ 22126-22160 दिनांक: 23/08/2015

-: आदेश :-

निम्नांकित तृतीय श्रेणी शिक्षकों पदस्थापन राज्य हित में उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं-

क्र.सं.	नाम शिक्षक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान	टिप्पणी	प्रशासनिक/स्वैच्छिक
1	मीना पंवार	रावउपासंवि जयपुर	राप्रवेसंवि ढाणी पण्डों वाली, जयपुर	राजेन्द्र कुमार खटीक के स्थान पर	प्रशासनिक
2	राजेन्द्र कुमार खटीक	राप्रवेसंवि ढाणी पण्डों वाली, जयपुर	राउप्रासंवि खेडावास, नेवर, जमवारामगढ, जयपुर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
3	मधु शर्मा	रावउपासंवि जयपुर	राप्रवेसंवि भानपुर कला, जयपुर	योगेश भारद्वाज के स्थान पर	प्रशासनिक
4	योगेश भारद्वाज	राप्रवेसंवि भानपुर कला, जयपुर	राउप्रासंवि भावगढ, बावरियों की ढाणी, जमवारामगढ, जयपुर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
5	सुनिता शर्मा	रावउपासंवि जयपुर	राउप्रासंवि वाटिका, जयपुर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
6	अंजना शर्मा	रावउपासंवि जयपुर	राउप्रासंवि हाथोज, जयपुर	अरुण कुमार शर्मा के स्थान पर	प्रशासनिक
7	अरुण कुमार शर्मा	राउप्रासंवि हाथोज, जयपुर	राउप्रासंवि सूतल्या की ढाणी जयपुर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक
8	योगिता शर्मा	रावउपासंवि जयपुर	राप्रासंवि खोखावास जयपुर	लक्ष्मीकांत सिंघल के स्थान पर	प्रशासनिक
9	लक्ष्मीकांत सिंघल	राप्रासंवि खोखावास जयपुर	राउप्रासंवि ईश्वरीसिंह पुरा जयपुर	रिक्त पद पर	प्रशासनिक

नोट-1. जिन कार्मिकों के स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किये गये हैं उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा। 2. जिन कार्मिकों के न्यायिक प्रकरण विचाराधीन हैं उनके संबंध में उक्त आदेश लागू नहीं होगा। 3. जिन कार्मिकों को प्रथम नियुक्ति पर उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी होने की तिथि को तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं उनके संबंध में उक्त आदेश लागू नहीं होगा। 4. स्थानान्तरित कार्मिकों को दिनांक 3.07.2015 तक आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा।

(लक्ष्मीनारायण आसोपा);

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर
2. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी संस्कृत शिक्षा राजस्थान
3. संबंधित प्राचार्य/संकुल प्रभारी को भेजकर लेख है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना अन्तिम तिथि से तीन दिवस के अन्दर सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. श्री शंकर सोनी, पु0अ0/वेबसाईट प्रभारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभाग की वेबसाईट पर उक्त आदेश को तत्काल अपलोड करें।
7. व्यक्तिगत पंजिका


(लक्ष्मीनारायण आसौप)

निदेशक,

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर